

अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए
प्रधानमंत्री का नया 15-सूत्रीय कार्यक्रम



सत्यमेव जयते

भारत सरकार
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

विषय-सूची

क्रम सं. मद

पृष्ठ सं.

I. अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री का नया 15-सूत्रीय कार्यक्रम

क. शिक्षा अवसरों को बढ़ावा देना

- | | |
|---|--------|
| (1) एकीकृत बाल विकास सेवाओं की समुचित उपलब्धता | 1 |
| (2) विद्यालयी शिक्षा की उपलब्धता को सुधारना :
सर्व शिक्षा अभियान
कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना | 1
1 |
| (3) उर्दू शिक्षण के लिए अधिक संसाधन | 1 |
| (4) मदरसा शिक्षा का आधुनिकीकरण | 2 |
| (5) अल्पसंख्यक समुदायों के मेधावी विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति :
मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति
मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति | 2
2 |
| (6) मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान के माध्यम से शैक्षिक
अवसंरचना को उन्नत करना | 2 |

ख. आर्थिक कार्यकलापों और रोजगार में समुचित हिस्सेदारी

- | | |
|---|--------|
| (7) गरीबों के लिए स्वरोजगार तथा मजदूरी रोजगार योजना :
स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना
स्वर्णजयन्ती शहरी रोजगार योजना | 2
2 |
| (8) तकनीकी प्रशिक्षण के माध्यम से कौशल उन्नयन | 3 |
| (9) आर्थिक क्रियाकलापों के लिए अभिवृद्धित ऋण सहायता | 3 |
| (10) राज्य व केन्द्रीय सेवाओं में भर्ती | 4 |

ग. अल्पसंख्यकों के जीवन स्तर की दशा में सुधार करना।

- | | |
|---|---|
| (11) ग्रामीण आवास योजना में उचित हिस्सेदारी | 5 |
|---|---|

(12) अल्पसंख्यक समुदायों वाली मलिन बस्तियों/क्षेत्रों की स्थिति में सुधार 5

घ. साम्प्रदायिक दंगों की रोकथाम व नियंत्रण

(13) साम्प्रदायिक घटनाओं की रोकथाम 6

(14) साम्प्रदायिक अपराधों के लिए अभियोजन 6

(15) साम्प्रदायिक दंगों के पीड़ितों का पुनर्वास 6

II. अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री के नए 15-सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए मार्गनिर्देश

(1) प्रस्तावना 7

(2) कार्यक्रम के उद्देश्य 7

(3) वास्तविक लक्ष्य तथा वित्तीय परिव्यय 9

(4) निर्धारण के लिए पात्र योजनाएं 10

(5) कार्यान्वयन, देखरेख तथा रिपोर्टिंग 11

अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री का नया 15-सूत्रीय कार्यक्रम

(क) शिक्षा अवसरों को बढ़ावा देना

1. एकीकृत बाल विकास सेवाओं की समुचित उपलब्धता

एकीकृत बाल विकास सेवा योजना का उद्देश्य है - उपेक्षित वर्गों के बच्चों, गर्भवती महिलाओं/दूध पिलाने वाली माताओं का सम्पूर्ण विकास। इसके लिए आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से सेवाएं उपलब्ध करायी जाती हैं जैसे संपूरक पोषण, स्वास्थ्य जांच, प्रतिरक्षीकरण, परामर्श सेवाएं, पूर्व स्कूल व अनौपचारिक शिक्षा। आईसीडीएस प्रोजेक्ट और आंगनवाड़ी केन्द्र की एक निश्चित संख्या अल्पसंख्यक घनी आबादी वाले गाँवों/प्रखण्डों में स्थापित की जाएगी ताकि इस योजना का लाभ ऐसे समुदायों को भी उचित रूप से मिल सके।

2. विद्यालयी शिक्षा की उपलब्धता को सुधारना

सर्व शिक्षा अभियान, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना और ऐसी अन्य सरकारी योजनाओं के अन्तर्गत, यह सुनिश्चित किया जायेगा कि ऐसे विद्यालयों की एक निश्चित संख्या अल्पसंख्यक समुदायों की घनी जनसंख्या वाले गाँवों/क्षेत्रों में स्थापित की जायें।

3. उर्दू शिक्षण के लिए अधिक संसाधन

उन प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में उर्दू भाषा के अध्यापकों की भर्ती और तैनाती के लिए केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाएगी जो इस भाषा वर्ग से संबंधित कम से कम एक चौथाई जनसंख्या की सेवा करते हों।

4. मदरसा शिक्षा का आधुनिकीकरण

एरिया इंटेग्रेटिव और मदरसा आधुनिकीकरण कार्यक्रम की केन्द्रीय योजनागत स्कीम में शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यक घनी आबादी वाले क्षेत्रों में मूल शैक्षिक अवसंरचना तथा मदरसा शिक्षा के आधुनिकीकरण के लिए प्रावधान है। इस आवश्यकता पर ध्यान देने के महत्व को देखते हुए, यह कार्यक्रम पर्याप्त रूप से सुव्यवस्थित व प्रभावी रूप से लागू किया जायेगा।

5. अल्पसंख्यक समुदायों के मेधावी विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति

अल्पसंख्यक समुदायों के विद्यार्थियों के लिए पूर्व मैट्रिक और मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना बनायी एवं कार्यान्वित की जाएगी।

6. मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान के माध्यम से भौक्षिक अवसंरचना को उन्नत करना

सरकार, मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान को सभी सम्भव सहायता देगी ताकि यह अपने कार्यकलापों को अधिक प्रभावी रूप से सुदृढ़ व व्यापक कर सके।

(ख) आर्थिक कार्यकलापों और रोजगार में समुचित हिस्सेदारी

7. गरीबों के लिए स्वरोजगार तथा मजदूरी रोजगार योजना

(क) ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना, प्राथमिक स्वरोजगार कार्यक्रमों के उद्देश्य हैं - गरीब ग्रामीण परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर लाना। ऐसा बैंक ऋण और सरकारी सहायता के द्वारा किया जाता है। इस योजना के

अन्तर्गत आर्थिक और भौतिक लक्ष्यों का कतिपय प्रतिशत, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले अल्पसंख्यक समुदायों के व्यक्तियों के लिए निर्धारित किया जाएगा ।

(ख) स्वर्णजयन्ती शहरी रोजगार योजना के दो मुख्य घटक हैं: शहरी स्वरोजगार योजना और शहरी मजदूरी रोजगार कार्यक्रम। इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत वास्तविक और आर्थिक लक्ष्यों का कतिपय प्रतिशत अल्पसंख्यक समुदायों के गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को सुविधा प्रदान करने के लिए निर्धारित किया जाएगा ।

8. तकनीकी प्रशिक्षण के माध्यम से कौशल उन्नयन

अल्पसंख्यक समुदायों की जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग निम्न श्रेणी के तकनीकी कार्यों में लगा हुआ है या दस्तकारी द्वारा अपनी जीविका कमाता है। ऐसे लोगों के लिए तकनीकी प्रशिक्षण की व्यवस्था कर दिए जाने से उनकी कौशल और जीविका क्षमता बढ़ जाएगी। इसलिए, सभी नये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में से कतिपय संस्थान अल्पसंख्यक समुदायों की बहुलता वाले क्षेत्रों में स्थापित किए जायेंगे और "उत्कृष्टता केन्द्रों" के रूप में उन्नत किए जाने वाले मौजूदा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में से कुछ संस्थानों का चयन उसी आधार पर किया जाएगा ।

9. आर्थिक क्रियाकलापों के लिए अभिवृद्धित ऋण सहायता

(क) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम को 1994 में स्थापित किया गया। इसका उद्देश्य, अल्पसंख्यक समुदायों में आर्थिक विकास की गतिविधियों को बढ़ावा देना था। सरकार इस निगम को अधिक इक्विटी सहायता देकर इसे

सुदृढ़ बनाने के लिए वचनबद्ध है जिससे कि यह निगम अपने उद्देश्यों को पूर्णतः प्राप्त कर सकेगा ।

(ख) स्वरोजगार योजना के निर्माण और उसे बनाये रखने के लिए बैंक ऋण आवश्यक है । प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के लिए कुल बैंक ऋण का 40 प्रतिशत लक्ष्य घरेलू बैंकों के लिए निश्चित किया गया है । ये प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में, अन्य बातों के साथ, शामिल हैं :- खेती के लिए ऋण, लघु उद्योगों व छोटे कामधंधों के लिए ऋण, रिटेल ट्रेड, व्यवसायिक व स्वरोजगार वाले व्यक्तियों के लिए ऋण, शिक्षा के लिए ऋण, घर के लिए ऋण व अन्य छोटे ऋण । यह सुनिश्चित किया जायेगा कि सभी श्रेणियों में प्राथमिकता क्षेत्रों में दिए जाने वाले ऋण का निश्चित प्रतिशत अल्पसंख्यक समुदायों के लिए लक्षित है ।

10. राज्य व केन्द्रीय सेवाओं में भर्ती

(क) राज्य सरकार को यह सलाह दी जायेगी कि पुलिस कार्मिकों की भर्ती करते समय अल्पसंख्यक समुदायों के अभ्यर्थियों पर विशेष रूप से विचार किया जाये । इस उद्देश्य के लिए चयन समितियों के संयोजन का प्रतिनिधित्व होने चाहिए ।

(ख) केन्द्र सरकार भी, केन्द्रीय पुलिस बलों में कार्मिकों की भर्ती करते समय इसी प्रकार की कार्रवाई करेगी ।

(ग) रेलवे, राष्ट्रीयकृत बैंकों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा बड़े स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जाते हैं । इन मामलों में भी, सम्बन्धित विभाग ये सुनिश्चित करेंगे कि भर्ती करते समय अल्पसंख्यक समुदायों के अभ्यर्थियों पर विशेष ध्यान दिया जाए ।

(घ) अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों को सरकारी संस्थानों के साथ-साथ निजी कोचिंग संस्थाओं में कोचिंग प्रदान करने के

लिए एक विशेष योजना शुरू की जायेगी जिसमें इन संस्थाओं को सहायता दी जाएगी !

(ग) अल्पसंख्यकों के जीवन स्तर की दशा में सुधार करना।

11. ग्रामीण आवास योजना में उचित हिस्सेदारी

इन्दिरा आवास योजना में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले ग्रामीण लोगों के लिए आवास हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध करने की व्यवस्था है। इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत वास्तविक व आर्थिक लक्ष्यों का निश्चित प्रतिशत, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले अल्पसंख्यक समुदायों के निर्धन लाभभोगियों के लिए निर्धारित किया जाएगा।

12. अल्पसंख्यक समुदायों वाली मलिन बस्तियों/क्षेत्रों की स्थिति में सुधार

(क) एकीकृत आवास एवं मलिन बस्ती विकास कार्यक्रम और जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन की योजनाओं के अन्तर्गत, केन्द्र सरकार शहरी मलिन बस्तियों के विकास के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता देती है। जिससे इन बस्तियों में जन सुख-सुविधाएं और मूल सेवाएं उपलब्ध करायी जाती हैं। यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इन कार्यक्रमों के लाभ अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों तथा इन समुदायों की घनी आबादी वाले नगरों/मलिन बस्तियों को उचित रूप से मिले।

(ख) शहरी अवसंरचना और शासन (यूआईजी) योजना, लघु एवं मध्यम नगरों के लिए शहरी अवसंरचना विकास योजना (यूआईडीएसएसएमटी) और राष्ट्रीय ग्रामीण पेय जल

कार्यक्रम (एनआरडीडब्लूपी) के अंतर्गत केन्द्र सरकार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आधारभूत सुविधा और अवसरचना के प्रावधान के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि इन कार्यक्रमों का लाभ अल्पसंख्यक बहुल शहरों/नगरों/जिलों/ब्लॉकों को समान रूप से मिले।

(घ) साम्प्रदायिक दंगों की रोकथाम व नियंत्रण

13. साम्प्रदायिक घटनाओं की रोकथाम

साम्प्रदायिक रूप से संवेदनशील और दंगा संभावित के रूप में अभिज्ञात किए गए क्षेत्रों में ऐसे जिला व पुलिस अधिकारियों को नियुक्त किया जाना चाहिए जो अत्यधिक कुशलता, निष्पक्षता और धर्मनिरपेक्ष के रूप में जाने जाते हैं। ऐसे क्षेत्रों में और अन्य कहीं भी, सांप्रदायिक तनाव को दूर करना जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक की प्राथमिक ज़रूरतों में होना चाहिए। इस संबंध में इनका कार्य निष्पादन, उनकी पदोन्नति निर्धारित करने में महत्वपूर्ण कारक होना चाहिए।

14. साम्प्रदायिक अपराधों के लिए अभियोजन

उन सभी लोगों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए जो साम्प्रदायिक दंगे भड़काते हैं अथवा हिंसा में हिस्सा लेते हैं। इसके लिए विशेष न्यायालय स्थापित किये जाने चाहिए ताकि अपराधियों को शीघ्रता से दंडित किया जा सके।

15. साम्प्रदायिक दंगों के पीड़ितों का पुनर्वास

साम्प्रदायिक दंगों के पीड़ितों को तत्काल राहत दी जानी चाहिए तथा उनके पुनर्वास के लिए शीघ्र उपयुक्त वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जानी चाहिए।

अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री के नए 15-सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए मार्गनिर्देश

माननीय राष्ट्रपति ने 25 फरवरी, 2005 को संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए घोषणा की थी कि सरकार कार्यक्रम विशिष्ट बातों को ध्यान में रखते हुए अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए नए सिरे से 15-सूत्री कार्यक्रम तैयार करेगी। स्वतंत्रता दिवस 2005 के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम अपने संदेश में अन्य बातों के साथ-साथ कहा कि "हम अल्पसंख्यकों के लिए संशोधित एवं बेहतर 15-सूत्री कार्यक्रम तैयार करेंगे। नए 15-सूत्री कार्यक्रम के निश्चित लक्ष्यों को निर्धारित समय-सीमा में प्राप्त किया जाएगा।" इन्होंने वचनबद्धताओं के अनुपालन में पिछले कार्यक्रम को संशोधित करते हुए अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री का नया 15-सूत्री कार्यक्रम तैयार किया गया।

2. कार्यक्रम के उद्देश्य निम्नलिखित हैं :

- (क) शिक्षा अवसरों को बढ़ावा देना।
- (ख) मौजूदा और नई योजनाओं के माध्यम से आर्थिक गतिविधियों तथा रोजगार में अल्पसंख्यकों के लिए समान हिस्सेदारी सुनिश्चित करना, स्वरोजगार के लिए ऋण सहायता में वृद्धि और राज्य तथा केन्द्र सरकार की नौकरियों पर भर्ती करना।
- (ग) अवसरचना विकास योजनाओं में अल्पसंख्यकों के लिए उपयुक्त हिस्सा सुनिश्चित कर के उनकी दशा को बेहतर बनाना।
- (घ) सांप्रदायिक असामंजस्य तथा हिंसा पर नियंत्रण एवं रोकथाम।
- (ङ) नए कार्यक्रम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ अल्पसंख्यक समुदाय के लाभ

से वंचित लोगों तक पहुंचे। अल्पसंख्यक समुदाय के लाभ से वंचित लोगों को निश्चित रूप से विभिन्न सरकारी योजनाओं के लक्षित समूह में शामिल किया जाना चाहिए। अल्पसंख्यक समुदाय को इन योजनाओं का लाभ उचित रूप से पहुंचाने के उद्देश्य से नए कार्यक्रम में अल्पसंख्यक समुदायों की घनी जनसंख्या वाले क्षेत्रों में यथानुपात विकास परियोजनाओं की परिकल्पना की गई है। इसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि जहां कहीं भी संभव हो विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत व्यय राशि का 15% अल्पसंख्यकों के लिए निर्धारित किया जाए।

(घ) कार्यक्रम में उपयुक्त उपायों के माध्यम से सांप्रदायिक शांति और सौहार्द बनाए रखने तथा सार्वजनिक क्षेत्र सहित सरकार में अल्पसंख्यकों के प्रति हमेशा सहानुभूति रखने के प्रयास के रूप में उन्हें उचित प्रतिनिधित्व देने पर बल दिया गया है। यह नए कार्यक्रम का महत्वपूर्ण पहलू है।

(छ) कार्यक्रम में अल्पसंख्यकों के लिए किसी भी योजना के मानदंडों, मानकों अथवा पात्रता शर्तों में किसी प्रकार के परिवर्तन अथवा इनमें किसी छूट की परिकल्पना नहीं की गई है। ये योजनाएं कार्यक्रम में शामिल मूल योजनाओं के रूप में ही रहेंगी।

(ज) 15-सूत्री कार्यक्रम में व्यक्त शब्द "महत्वपूर्ण अल्पसंख्यक आबादी" उन जिलों/उप जिला इकाइयों में लागू होता है जहां जिस इकाई की कुल आबादी की न्युनतम 25% आबादी अल्पसंख्यक समुदायों से संबद्ध हो।

(झ) (क) कार्यक्रम के लक्षित समूह में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 के अनुच्छेद 2(ग) के अंतर्गत अधिसूचित अल्पसंख्यकों अर्थात् मुस्लिमों, ईसाइयों, सिखों, बौद्धों तथा जोरोएस्ट्रियन (पारसी) के पात्र वर्गों को शामिल किया गया है।

(ख) उन राज्यों में, जहां कोई एक अल्पसंख्यक समुदाय राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 के अनुच्छेद (2) के अधीन अधिसूचित हो, अर्थात् बहुसंख्यक हो तो विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत वास्तविक/ वित्तीय लक्ष्यों का निर्धारण केवल अन्य अधिसूचित अल्पसंख्यकों के लिए किया जाएगा। ये राज्य हैं, जम्मू और कश्मीर, पंजाब, मेघालय, मिजोरम तथा नागालैंड। लक्षद्वीप इस समूह में एकमात्र संघ शासित क्षेत्र है।

(ज) नया कार्यक्रम राज्य सरकारों/ संघ शासित क्षेत्रों के माध्यम से संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों/ विभागों द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। प्रत्येक मंत्रालय/ विभाग इस कार्यक्रम के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त करेगा जो न्यूनतम भारत सरकार के संयुक्त सचिव रैंक का होगा। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय इस कार्यक्रम का नोडल मंत्रालय होगा।

3. वास्तविक लक्ष्य तथा वित्तीय परिव्यय :

कार्यक्रम की जटिलता तथा इसकी व्यापक पहुंच को ध्यान में रखते हुए, जहां कहीं भी संभव होगा, संबंधित मंत्रालय/ विभाग वास्तविक लक्ष्यों तथा वित्तीय व्यय का 15% अल्पसंख्यकों के लिए निर्धारित करेगा। इसका विभाजन निम्नलिखित पहलुओं पर निर्भर करते हुए देश में गरीबी की रेखा के नीचे रह रही कुल अल्पसंख्यक आबादी को ध्यान में रखकर राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र में गरीबी की रेखा के नीचे रह रही आबादी के यथानुपात आधार पर राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के बीच किया जाएगा :-

(क) (i) ग्रामीण क्षेत्र विशेष के लिए लागू योजनाओं के लिए ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी की रेखा के नीचे रह रही अल्पसंख्यक आबादी के केवल संगत अनुपात पर विचार किया जाएगा।

(ii) शहरी क्षेत्र विशेष के लिए लागू योजनाओं के लिए शहरी क्षेत्र में गरीबी की रेखा के नीचे रह रही अल्पसंख्यक आबादी के केवल संगत अनुपात पर विचार किया जाएगा।

(iii) अन्वियों के लिए, जहां इस प्रकार का अंतर संभव नहीं है, इनकी कुल संख्या पर विचार किया जाएगा।

(ख) पैरा 7(ख) में उल्लिखित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मामले में अन्य बहुसंख्यकों के अलावा सिर्फ गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे अल्पसंख्यकों के लिए ही वास्तविक लक्ष्यों तथा वित्तीय व्यय का निर्धारण होगा।

4. इस प्रकार के निर्धारण के लिए निम्नलिखित योजनाएं पात्र हैं :-

सूत्र सं. (क) शिक्षा अवसरों को बढ़ावा देना

(1) एकीकृत बाल विकास सेवाओं की समुचित उपलब्धता

एकीकृत बाल विकास सेवाएं योजना आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से अपनी सेवाएं प्रदान करेगी।

(2) विद्यालयी शिक्षा की उपलब्धता को सुधारना

सर्व शिक्षा अभियान, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना तथा इसी तरह की अन्य सरकारी योजनाएं।

सूत्र सं. (ख) आर्थिक कार्यकलापों और रोजगार में समुचित हिस्सेदारी

(7) गरीबों के लिए स्व-रोजगार तथा मजदूरी रोजगार

(क) स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना

(ख) स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना

(8) तकनीकी शिक्षा के माध्यम से कौशल उन्नयन को बढ़ाना
नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) तथा मौजूदा प्रशिक्षण संस्थानों को उन्नत बनाना।

(9) आर्थिक क्रियाकलापों के लिए अभिवृद्धित ऋण सहायता

(ख) प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत बैंक ऋण देना

सूत्र सं. (ग) : अल्पसंख्यकों के जीवनस्तर की दशा में सुधार करना

(11) ग्रामीण आवास योजना में उचित हिस्सेदारी

इंदिरा आवास योजना (आई ए वाई)

(12) अल्पसंख्यक समुदायों वाली मलिन बस्तियों / क्षेत्रों की स्थिति में सुधार

एकीकृत आवास एवं मलिन बस्ती विकास कार्यक्रम और जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन (जेएनयूआरएम)।

शहरी अवसंरचना और शासन (यूआईजी), लघु एवं मध्यम नगरों के लिए शहरी अवसंरचना विकास योजना (यूआईडीएसएसएमटी) और राष्ट्रीय ग्रामीण पेय जल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी)

5. कार्यान्वयन, देखरेख तथा रिपोर्टिंग –

क. मंत्रालय / विभाग स्तर :

कार्यक्रम में शामिल योजनाओं को कार्यान्वित करने वाले मंत्रालय / विभाग वास्तविक लक्ष्यों और वित्तीय व्यय के परिप्रेक्ष्य में इन योजनाओं का कार्यान्वयन करेंगे तथा इनकी देखरेख करेंगे। संबंधित मंत्रालय / विभाग इन कार्यक्रमों के अंतर्गत इन योजनाओं के संबंध में मासिक आधार पर कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा करेंगे और तिमाही आधार पर

कार्यान्वयन प्रगति की रिपोर्ट अगली तिमाही के पन्द्रहवें दिन अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय को भेजेंगे।

ख. राज्य / संघ राज्य क्षेत्र स्तर :

- (i) राज्य / संघ राज्य क्षेत्र अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री के नए 15-सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए राज्य स्तरीय समिति का गठन करेंगे। समिति के अध्यक्ष मुख्य सचिव होंगे और इसके सदस्यों में 15-सूत्री कार्यक्रम के अधीन योजनाएं लागू करने वाले विभागों के सचिव और विभाग प्रमुख, पंचायती राज संस्थानों / स्वायत्त जिला परिषदों के प्रतिनिधि, अल्पसंख्यकों से संबद्ध ख्यातिप्राप्त गैर-सरकारी संगठनों के तीन प्रतिनिधि तथा ऐसे तीन अन्य सदस्य जिन्हें राज्य सरकार / संघ राज्य प्रशासन द्वारा उपयुक्त समझा गया हो, शामिल होंगे। केन्द्र सरकार द्वारा राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले लोक सभा से अधिकतम दो सदस्यों तथा राज्य सभा से एक सदस्य को नामित किया जाएगा तथा राज्य सरकार द्वारा दो विधान सभा सदस्यों का नामांकन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, राज्य स्तरीय समिति में शामिल लोक सभा और विधान सभा सदस्यों में से एक सदस्य को उस राज्य के अल्पसंख्यक बहुल किसी क्षेत्र से चुना हुआ होना चाहिए, जिस राज्य में ये अल्पसंख्यक बहुल जिले (एमसीडीएस) हैं। राज्य / संघ राज्य क्षेत्र के अल्पसंख्यकों से संबद्ध विभाग 15-सूत्री कार्यक्रम की देखरेख के लिए नोडल विभाग बना सकते हैं। समिति को हर तिमाही में कम-से-कम एक बार अपनी बैठक करनी होगी तथा राज्य / संघ शासित क्षेत्र के अल्पसंख्यकों से संबद्ध विभाग अगली तिमाही के पन्द्रहवें दिन अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय को तिमाही प्रगति रिपोर्ट भेज सकेंगे।

(ii) जिला स्तर :

इसी तरह से, अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री के नए

15-सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए जिला स्तर पर जिला स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। कार्यक्रम कार्यान्वित करने वाले विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों, पंचायती राज संस्थानों/स्वायत्त जिला परिषदों, अल्पसंख्यकों से संबद्ध ख्यातिप्राप्त संस्थानों के तीन प्रतिनिधियों सहित जिले के कलेक्टर/उपायुक्त इसके प्रमुख होंगे। लोक सभा और विधान सभा में संबद्ध जिले का प्रतिनिधित्व करने वाले सभी सदस्यों को समिति में शामिल किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, राज्य सभा में राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले एक सदस्य का नामांकन केन्द्र सरकार द्वारा किया जाएगा। जिला स्तरीय समिति कार्यान्वयन की प्रगति रिपोर्ट को राज्य स्तरीय समिति के समक्ष प्रस्तुत करने से पूर्व राज्य/संघ राज्य प्रशासन के अल्पसंख्यक कार्य से संबद्ध विभागों को प्रस्तुत करेगी।

ग. केन्द्र स्तर :

- (i) केन्द्रीय स्तर पर लक्ष्यों के परिप्रेक्ष्य में कार्यान्वयन की प्रगति की देखरेख छमाही में एक बार सचिवों की समिति करेगी और अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय मंत्रिमंडल को प्रस्तुत करेगी। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय नोडल मंत्रालय के रूप में इस संबंध में अपनी रिपोर्ट तैयार करेगा और उसे छमाही में एक बार सचिवों की समिति और केन्द्रीय मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुत करेगा। इस कार्यक्रम के संबंध में सभी संबंधित मंत्रालय/विभाग अपनी तिमाही रिपोर्ट अगली तिमाही के पंद्रहवें दिन अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय को प्रस्तुत करेगा।
- (ii) अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री के नए 15-सूत्री कार्यक्रम के लिए एक पुनरीक्षा समिति होगी। सभी संबंधित मंत्रालयों/विभागों के नोडल अधिकारियों सहित अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का सचिव इस समिति का प्रमुख होगा। प्रगति की समीक्षा करने, फीडबैक प्राप्त करने, समस्याओं को सुलझाने तथा स्पष्टीकरण प्रदान करने के लिए, जैसा भी आवश्यक हो, इस समिति की बैठक प्रत्येक तिमाही में एक बार होगी।